ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सत्या देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री रणवीर सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अमर सिंह	01.04.13 से 31.3.16
2	श्री संजय कुमार	14.2.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.15
2	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	12.03
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना सामान का क्रय	1.54
4	11	मजदूरी के रूप में किया गया अधिक भुगतान	0.03
5	12	मजदूरी के रूप में किए गए भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.46

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी

द्वारा दिनांक 17.9.2016 से 23.9.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय के लिए चयनित मास	व्यय के लिए चयनित मास
2013–14	05/2013	02/2014
2014–15	12/2014	05/2014
2015–16	11/2015	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना/अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 141/2016 दिनांक 23.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी

(क) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ			व्यय		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013–14	704522	63104	1113785	1881411	17117	1075301	788993
2014–15	788993	94778	824560	1708331	16349	728068	963914
2015–16	963914	125469	1451928	2541311	11211	829486	1700614
	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.3.2016 को शेष						₹1700614
	बचत खाता संख्या 31510100004 अनुसार 31.3.16 को शेष						₹1729828
	हस्तगत राशि						₹88

नोटः–दिनांक 31.3.16 को ₹29302 के चैक भुगतान हेतु लम्बित थे, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

(परिशिष्ट–1)
(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष	आय/प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	118117	1569660	1687777	1603903	83874
2014–15	83874	669879	753753	753753	0
2015–16	0	496391	496391	496391	0
	दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही अनुसार शेष				शून्य
	दिनांक 31.3.16 को बचत खाता संख्या 30510105405 अनुसार शेष				शून्य

(परिशिष्ट–2)

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिये गये विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (बिल बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की ₹0.15 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.15 लाख की वसूली शेष थीः–

1 गृहकर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	3310	16000	19310	19310	0
2014–15	0	18000	18000	9940	8060
2015–16	8060	18500	26560	13062	13498

2 मोबाइल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	0	2000	2000	2000	0
2014–15	0	2000	2000	2000	0
2015–16	0	2000	2000	–	2000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹12.03 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1202634 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु

आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.54 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹153964 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मजदूरी के रूप में किये गये अधिक भुगतान ₹0.03 लाख के सन्दर्भ मेंः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा "निर्माण कार्य महिला मण्डल भवन पीहड़ (हरिजन बस्ती)" में ₹21828 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया है।

क्र0सं0	रोकड़ बही	वा0सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि
1	सामान्य	53	7.11.13	10415	12.9.13 से 30.9.13	4968
2	सामान्य	113	24.2.14	10421	1.2.14 से 28.2.14	16860
					योग	**21828**

उक्त मस्ट्रोलों से किये गये कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका 5818 पृष्ठ संख्या 42–43 की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मजदूरी के विरूद्ध कार्य प्रगति क्रमशः ₹21264 दर्शायी गई है एवं इस कार्य प्रगति में Labour Enhancement @50% दर्शाई गई है, जबकि यह 38**%** की दर से दर्शाई जानी अपेक्षित थी एवं इस प्रकार उक्त भुगतान के विरूद्ध वास्तविक कार्य प्रगति ₹19563 (14176+5387 @38%) ही बनती है। कार्य की मात्रा प्रगति (Progress of work done) से अधिक भुगतान की गई ₹2265 (21828–19563) की राशि के लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य बावड़ी हरिजन बस्ती, पीहड़ हेतु मजदूरी के रूप में ₹9522 का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 5371 अवधि 16.1.14 से 30.1.14 हेतु वाउचर संख्या 262/13.1.2014 द्वारा किया गया है।

उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका 5894 पृष्ठ 8 अनुसार उपरोक्त मजदूरी के विरूद्ध कार्य प्रगति ₹8726 ही दर्शाई गई है एवं नियमानुसार मजदूरों को इससे अधिक मजदूरी देय नहीं थी। अतः कार्य की मात्रा प्रगति (Progress of work done) से अधिक भुगतान की गई ₹796 की मजदूरी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान ₹0.46 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ₹46476 का भुगतान मजदूरी के रूप में मनरेगा के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि
1	264	26.2.14	निर्माण चैक डैम रैंस खडड	5737	1.2.14 से 14.2.14	16560
2	265	26.2.14	–यथोपरि–	5738	–यथोपरि–	6762
3	266	26.2.14	निर्माण चैक डैम खोली नाला	5741	–यथोपरि–	3174
4	267	26.2.14	–यथोपरि–	5742	–यथोपरि–	1518
5	268	26.2.14	RWH सन्तोष कुमार, बेढलू	5743	–यथोपरि–	2898
6	269	26.2.14	RWH सोहन सिंह, पीहड़	5744	–यथोपरि–	7038
7	271	26.2.14	निर्माण बावड़ी कटकल नजदीक श्मशान घाट	5746	–यथोपरि–	4830
8	41	30.5.14	निर्माण चैक डैम बरोल नाला, करसाल	382	1.5.14 से 15.5.14	3696
					योग	**46476**

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित मस्ट्रोलों के माध्यम से किये गये मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा उक्त अवधि में किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में इस कार्य

हेतु उन्हें उतनी मजदूरी देय थी अथवा नही? की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः मजदूरों को किये गये भुगतान की प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु आरगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

13 स्टॉक रजिस्टर में शेष 5 बैग सीमेन्ट का अथशेष (Opening Balance) के रूप में आगे न ले जाया जानाः–

ग्राम पंचायत के सीमेन्ट से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि दिनांक 16.12.2013 को पृष्ठ संख्या 5 अनुसार सीमेन्ट के 5 बैग शेष थे। दिनांक 4.1.2014 को इन 5 बैग सीमेन्ट को निर्माण कार्य महिला मण्डल बेढलू हेतु प्रयोग किया गया दर्शाया गया था, किन्तु इन को उक्त कार्य में प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि इन्हें उस कार्य में नाम पक्ष (Debit) में नहीं दर्शाया गया था एवं स्टॉक रजिस्टर का निर्गम से सम्बन्धित कालम में भी इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी।

पंचायत द्वारा उक्त 5 बैग सीमेन्ट को अथ शेष के रूप में अगले पृष्ठ पर भी नहीं ले जाया गया है। अतः इन 5 बैग सीमेन्ट बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इनके प्रयोग से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 12/2017–खण्ड–1 –1590–1593 दिनाँक :09.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत पीहड़ बेढलू विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.